न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 14 / 2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. गणेशलाल पिता मांगीलाल जी जाट, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. घनश्याम पिता पृथ्वीराज जी जाट, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मिठूलाल पिता पृथ्वीराज जी जाट, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. रोशनलाल पिता पृथ्वीराज जी जाट, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. नन्दुबाई पत्नी पृथ्वीराज जी जाट, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा0 का0
अ0–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
15.05.2017, प्रकरण सं0 73 / 2014

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1. श्री मुकेश शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 16–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्टगण द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 88, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गिलुण्ड में आराजी नंबर 542 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जो पूर्व में वादीगण के पूर्वाधिकारी भूरा वल्द भुवाना जाट के स्वामित्व एवं

आधिपत्य की गत सेटलमेन्ट की आराजी नंबर 1273 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा थी। सेटलमेन्ट की आराजी नंबर 1273 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा के नये नंबर 542 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा बने, जिसमें से 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि किस्म बंजड़ होकर 2 बीघा भूमि किस्म रास्ता दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी में आराजी नंबर 542 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि किस्म बंजड़ होकर वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं होकर सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से बिलानाम अंकित कर दी गयी है एवं इसी भूमि के अन्य आराजी नंबर 542/1 रकबा 1 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 3920 अनुसार चारागाह दर्ज कर ली गयी है, जबकि उक्त भूमि भी विरासत के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। आराजी नंबर 542 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा के 1/2 हिस्से पर वादी गणेश पिता मांगीलाल का तथा 1/2 हिस्से पर वादी घनश्याम, मिठूलाल, रोशनलाल पिता पृथ्वीराज एवं नंदूबाई बेवा पृथ्वीराज का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से भू–प्रबन्ध के दौरान भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गयी है, जबकि उन्हें इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन की अधिकारिता नहीं है।

प्रकरण में नायब तहसीलदार रेलमगरा द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि वादीगण ने राज्य मेवाड़ उदयपुर की जमाबन्दी को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपने पूर्वगामी प्रभाव नहीं रखता है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गयी :–

1. आया ग्राम गिलुण्ड की आराजी संख्या 542 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वाधिकारी भूरा वल्द भुवाना जाट के स्वामित्व आधिपत्य की थी जिसके गत सेटलमेन्ट की आराजी संख्या 1273 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा हैं ? .....वादीगण
2. आया आराजी नंबर 542 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजस्व अधिकारियों की गलती से बिलानाम गैर काबिल काश्त सिवाय चक दर्ज हो गयी है, जो पुनः वादीगण दुरस्त कराकर अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है ? .....वादीगण

3. आया वादीगण ने राज्य मेवाड़ उदयपुर की सन् 1923 की प्रति को आधार बनाकर वाद पेश किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपने पूर्वगामी प्रभाव नहीं रखता है, जिससे वाद खारिज योग्य है ? .....प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए दिनांक 15–05–2017 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है :–

''पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि महकमें बन्दोबस्त मेवाड़ सेटलमेन्ट के खसरा में आराजी नंबर 1273 भूरा वल्द भवाना जाट सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा गत भू–प्रबन्ध के खसरा मिलान पत्रक में आराजी नंबर 1273 के कॉलम संख्या 21 से 23 में क्रमशः श्री सरकार, बिलानाम व सिवाय चक अंकित है। वादी द्वारा मेवाड सेटलमेन्ट गत भू–प्रबन्ध के मध्य का कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस दौरान उक्त भूमि किस के नाम रही थी। ऐसी स्थिति में वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम की जावे।''

अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15–05–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–03–2018 को पेश की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर अखण्डित शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतएवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में साक्ष्य लेने के बाद निर्णय किया जाना था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत में रखकर बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिए एवं उपलब्ध तनकियों पर बिना तनकीवार विवेचन किये प्रकरण में सरसरी निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये तथा उपलब्ध तनकियों का तनकीवार विवेचन नहीं कर सरसरी निर्णय पारित किया है जो आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होकर त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–05–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्टगण की साक्ष्य लेकर एवं उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16–10–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

शंकरलाल पिता हजारीलाल बलाई (सालवी), निवासी काबरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द। बनाम **मंजू पिता मोहनलाल बलाई(सालवी) निवासी काबरा हाल निवासी छडंगा का खेड़ा, तहसील रेलमगरा व अन्य**

अपील नं.....**71 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....27**.....माह.....**09**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री प्रकाश चन्द्र खटीक**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री उदयलाल कुमावत**..

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2017 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।